न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 94/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 701, सातवां तल, अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नम्बर 23, डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रे, राजेन्द्र पैलेस, न्यू देहली–110008 एवं शाखा कार्यालय ई–6, प्रथम तल, पी एप प्लाजा, मैन अजमेर रोड़, डीसीएम, निर्माण नगर, जयपुर–302019, राज.

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **बोरनाली शर्मा पत्नी महेन्द्र कुमार गौढ़, प्रोपराइटर मैसर्स प्रज्ञा सिलाई सेन्टर**
   पता–वार्ड नम्बर 15, ग्राम लोसल छोटी, ब्लॉक लोसल छोटी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर–332025, राज.।
   अन्य पता–खसरा नम्बर 173 एवं 174, प्लॉट नम्बर 08, बालाजी विहार कॉलोनी, बालाजी मन्दिर के पास, ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर–332025, राज.।
2. **महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण लाल शर्मा प्रोपराइटर मैसर्स शर्मा फैन्सी स्टोर**
   पता–वार्ड नम्बर 15, ग्राम लोसल छोटी, ब्लॉक लोसल छोटी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर–332025, राज.
   अन्य पता–खसरा नम्बर 173 एवं 174, प्लॉट नम्बर 08, बालाजी विहार कॉलोनी, बालाजी मन्दिर के पास, ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर–332025, राज.।

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

दिनांकः– 29 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दीपेन्द्र सिंह परमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **बोरनाली शर्मा पत्नी महेन्द्र कुमार गौढ**, एवं **महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण लाल शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बोरनाली शर्मा** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **हाउस/प्लॉट नम्बर 08, वार्ड नम्बर 01, बालाजी विहार–चतुर्थ, खसरा नम्बर 173 एवं 174, ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर–332025, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 129.861 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य भूमि, पश्चिम दिशा में रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 07 एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट नम्बर 09 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 5,50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **15.03.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **15.03.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **बोरनाली शर्मा पत्नी महेन्द्र कुमार गौढ,** एवं **महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण लाल शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बोरनाली शर्मा** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **हाउस/प्लॉट नम्बर 08, वार्ड नम्बर 01, बालाजी विहार–चतुर्थ, खसरा नम्बर 173 एवं 174, ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर–332025, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 129.861 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में अन्य भूमि, पश्चिम दिशा में रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 07 एवं दक्षिण दिशा में प्लॉट नम्बर 09 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **29 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर